भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 91

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि का उपयोग

***91. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सीएसआर के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटन के मानदंडों और नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उन गांवों और कस्बों के नाम क्या हैं जहां विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा विकास कार्य पर धनराशि का उपयोग किया गया है तथा इस संबंध में कंपनी-वार, धनराशि-वार और कार्य श्रेणी-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तेल निष्कर्षण, शोधन, गैस, सौर और पवन ऊर्जा सहित अन्य कार्यकलापों में लगी कंपनियों के द्वारा उक्त अवधि के दौरान सीएसआर के अंतर्गत अपने लाभ में से कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव था; और

(घ) उक्त कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत निर्धारित राशि में से व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि का उपयोग' के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 (11वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सीएसआर ढांचा के अंतर्गत निधि के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 में तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की धनराशि, अथवा 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार, अथवा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी अधिदेशित की गई है जिससे कि अधिनियम की अनुसूची **VII** में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों/क्षेत्र पर कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के कम से कम दो प्रतिशत का व्यय कर सके।

प्रत्येक पात्र कंपनी एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और सिफारिश करेगी जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाते है। कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना, निर्णय, निष्पादन और निगरानी करता है।

(ख) से (घ): मंत्रालय सीएसआर व्यय का ग्राम और कस्बा-वार आंकड़े नहीं रखता है। हालांकि, एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सभी पात्र कंपनियों का विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- I में दिया गया है।

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए 21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर से संबंधित सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पैन इंडिया में सभी कंपनियों द्वारा राज्य-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- II और III में दिए गए हैं।

****

अनुलग्नक- I

'बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि का उपयोग' के संबंध में 29 जुलाई, 2024 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 (11वां स्थान) के भाग (ख) से (घ) का उत्तर।

जैसलमेर जिले में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)				
क.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	कृषि वानिकी	-	0.57	-
2	कला और संस्कृति	0.10	0.05	0.10
3	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	0.16	0.42
4	पढ़ाई	0.11	0.70	3.00
5	पर्यावरणीय स्थिरता	-	0.10	0.42
6	लैंगिक समानता	-	-	-
7	स्वास्थ्य देखभाल	2.07	1.65	1.60
8	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	0.05	0.74
9	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	0.15	0.12	-
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.82	2.05	4.74
11	सुरक्षित पेयजल	-	-	0.55
12	स्वच्छता	-	-	0.05
13	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	0.03	-	-
14	महिला सशक्तिकरण	-	-	0.09
कुल योग		**4.28**	**5.44**	**11.72**

बाड़मेर जिले में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)				
क्रमांक	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	**पशु कल्याण**	0.21	0.16	0.77
2	**सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित**	-	0.03	0.26
3	**कला और संस्कृति**	0.24	0.25	0.25
4	**प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण**	1.47	-	0.00
5	**शिक्षा**	6.51	3.92	2.86
6	**पर्यावरणीय स्थिरता**	2.95	0.73	0.18
7	**स्वास्थ्य देखभाल**	7.92	4.21	6.23
8	**आजीविका संवर्धन परियोजनाएं**	1.23	0.99	1.18
9	**गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण**	0.43	1.18	0.01
10	**ग्रामीण विकास परियोजनाएं**	2.28	1.99	2.86
11	**सुरक्षित पेयजल**	-	1.31	0.99
12	**स्वच्छता**	0.01	0.57	0.01
13	**वरिष्ठ नागरिक कल्याण**	-	0.00	-
14	**विशेष शिक्षा**	-	-	0.05
15	**खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण**	0.05	0.14	1.33
16	**व्यावसायिक कौशल**	0.42	0.02	0.25
17	**महिला सशक्तिकरण**	0.82	0.23	0.49
	कुल योग	24.55	15.74	17.73

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

****

अनुलग्नक- II

'बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि का उपयोग' के संबंध में 29 जुलाई, 2024 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 (11वां स्थान) के भाग (ख) से (घ) का उत्तर।

राज्य-वार सीएसआर व्यय आंकडे (राशि करोड़ में)				
क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.35
4	असम	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	3.57	12.46	13.57
27	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	169.47	0.52	20.12
28	ओडिशा	578.16	670.32	987.70
29	पैन इंडिया*	7,805.03	5,525.16	6,060.98
30	अन्य केंद्रीकृत फंड	3,491.30	1,613.57	948.81
31	पुडुचेरी	12.43	9.31	12.55
32	पंजाब	158.46	184.89	247.57
33	राजस्थान	670.00	711.82	1,102.37
34	सिक्किम	17.28	28.24	36.18
35	तमिलनाडु	1,174.07	1,432.06	1,562.48
36	तेलंगाना	627.71	685.87	1,007.54
37	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26
38	उत्तर प्रदेश	907.32	1,339.18	1,152.57
39	उत्तराखंड	160.58	228.08	301.11
40	पश्चिम बंगाल	471.48	567.21	762.29
कुल		**26,210.95**	**26,616.30**	**29,987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* अन्यत्र कवर नहीं (एनईसी)

*कंपनियों ने या तो उन राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

****

अनुलग्नक- III

"बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर निधि का उपयोग' के संबंध में 29 जुलाई, 2024 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 (11वां स्थान) के भाग (ख) से (घ) का उत्तर।

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर खर्च (राशि करोड़ में)				
क्रमांक	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	कृषि वानिकी	20.90	34.27	65.07
2	पशु कल्याण	193.55	168.79	315.98
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /	84.05	47.22	62.27
4	कला और संस्कृति	493.13	248.34	441.02
5	स्वच्छ गंगा कोष	13.39	55.41	41.66
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	92.00	273.82	580.37
7	पढ़ाई	6,693.25	6,569.82	10,085.78
8	पर्यावरणीय स्थिरता	1,030.16	2,433.24	1,960.13
9	लैंगिक समानता	43.83	104.67	119.83
10	स्वास्थ्य देखभाल	7,325.83	7,816.29	6,830.60
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	938.91	854.78	1,654.39
12	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	203.14	0.59	1.50
13	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	1,618.17	310.60	179.02
14	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	1,407.58	1,896.95	1,232.62
15	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	1,698.38	1,219.16	815.85
16	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,850.71	1,833.76	2,005.37
17	सुरक्षित पेयजल	203.13	182.68	246.36
18	स्वच्छता	338.97	313.26	429.91
19	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	56.47	79.58	132.87
20	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	44.52	100.92	48.53
21	अनाथालय की स्थापना	21.88	27.52	41.24
22	स्लम क्षेत्र विकास	88.95	58.38	93.84
23	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	149.81	164.90	154.01
24	विशेष शिक्षा	209.24	190.52	305.67
25	स्वच्छ भारत कोष	161.35	34.92	55.32
26	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	62.62	8.57	1.38
27	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	243.39	291.85	526.14
28	व्यावसायिक कौशल	717.65	1,034.18	1,164.19
29	महिला सशक्तिकरण	206.00	261.34	396.99
कुल		**26,210.95**	**26,616.30**	**29,987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* अन्यत्र कवर नहीं (एनईसी)

* कंपनियों ने या तो सेक्टर के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक सेक्टर को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

****